6/3/18 पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक------ ----------13/3/18-------को पेश हो।

13/3/18 पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावलियां अधिक होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक--------27/3/18 को पेश हो।

27/3/18 पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य / अवकाश में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक------ ----------19/4/18----को पेश हो।

19/4/18 पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक------ ----------4/6/18--------को पेश हो। उपरान्त पत्रावली लोक अदालत केम्प डूंगरज्या दि. 26.6.18 को पेश हो।

26.6.18

पत्रावली लोक अदालत केम्प डूंगरज्या में पेश हुई। वादी नं0 1 व प्रतिवादीगण मजमें आम में उपस्थित। उभयपक्ष को मजमें आम में सुना गया। वादी नं0 1 ने कथन किये कि विवादित आराजी वादी नं0 1 के ससुर व वादी नं0 2, 3 के दादा व प्रतिवादी नं0 1 के पिता किशोर के खातें में दर्ज थी, किशोर की मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि किशोर से पुत्र श्रवण के नाम दर्ज की गई। किशोर के तीन पुत्र श्रवण, परसराम तथा वादी नं0 1 के पति व वादी नं0 2, 3 के पिता मोहन है। श्रवण लाऔलाद फोत हो गये तथा प्रतिवादी

नि. परसराम

नि. अ. रुक्मणी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	20/10/2050
	नं0 1 ने उक्त भूमि प्रतिवादी नं0 2 से मिली भगत कर अपनें नाम दर्ज करवा ली। अतः विवादित भूमि में वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें तथा रिज्यूम चाकरी सांसरी का नोट हटाया जावें एवं वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 के मध्य हॉल्डिंग विभाजन किया जावें। इसके विपरित प्रतिवादी नं0 1 ने कथन किये कि उक्त भूमि से वादीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त भूमि मुझे माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.08.2005 को प्रकरण सं0 112/05 में पारित निर्णय की पालना में प्राप्त हुई है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावें।
	मजमें आम में पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचार किया। पत्रावली पर उपलब्ध छायाप्रति निर्णय दिनांक 24.08.2005 प्रकरण सं0 112/05 के अवलोकन से जाहिर आता है प्रकरणाधीन भूमि के सम्बन्ध में इसी न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है तथा उक्त निर्णय की पालना में उक्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 के नाम दर्ज की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य के अवलोकन से वादीगण अपनें वादपत्र को प्रमाणित नहीं कर पाये है। वैसे भी विवादित भूमि के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णय पारित किया जा चुका है। जिससे पुनः उसी भूमि निर्णय पारित किया जाना विधि अनुरूप नहीं है।
	अतः वाद वादीगण खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें आम में सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।